न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–75 / 19 (2019 / 00206) वाद पत्र

अनवान

1–प्यारी पत्नि रामलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीया

बनाम

1–जमनालाल आत्मज रामलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–गंगा पुत्री रामलाल जाट पत्नि भंवरलाल जाट नि0 दुल्हेपुरा त0 रायपुर जिला भीलवाडा
3–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1–हरिश टेलर अधिवक्ता वादीया

निर्णय दिनांक 03 / 03 / 2020

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादिया के पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामलाल आत्मज भैरा जी जाट के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे की आराजियात संख्या 88 रकबा 0.27 है0, आ.स. 536 रकबा 0.27 है0, आ.स. 636 रकबा 0.09 है0, आ.स. 1262 रकबा 0.22 है0, आ.स. 1485 रकबा 0.63 है0, आ.स. 1967 / 1554 रकबा 0.65 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.13 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 320 पर दर्ज होकर स्थित है। उक्त वर्णित भूमियो में खातेदार रामलाल आत्मज भेरा जाट निवासी बोरियापुरा की मृत्यु हो जाने से दिनांक 08.12.2015 को उनकी विरासत का नामान्तरणकरण संख्या 566 मुझ वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर निर्णित किया गया, जिसमें राजस्व कर्मचारियो ने गैर कानुनी रूप से मुझ वादिया का नाम प्यारी पत्नि रामलाल जाट के बजाय भैरी पत्नि रामलाल जाट दर्ज कर दिया, जो पूर्ण रूप से गलत है तथा गलत रूप से नामान्तरणकरण फैसेल हो जाने से उक्त वर्णित जमाबन्दी में भी गलत रूप से मुझ वादिया का नाम भैरी पत्नि रामलाल जाट दर्ज हो गया। उक्त वर्णित भूमियो से मुझ वादिया का नाम भैरी के बजाय प्यारी पत्नि रामलाल जाट बतौर खातेदार दर्ज कराया जाना आवश्यक हो गया है। मुझ वादिया के समस्त सरकारी दस्तावेज में प्यारी पत्नि रामलाल जाट ही दर्ज है किन्तु उक्त वर्णित भूमियो में लागु सरकारी योजना का लाभ नही ले पा रही जिससे वादिया का नाम उक्त वर्णित भूमियो में दुरस्त करवाया जाकर भैरी पत्नि रामलाल जाट के बजाय प्यारी पत्नि रामलाल जाट बतौर खातेदार दज करवाने की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः वादिया की सादर प्रार्थना है कि ग्राम बारियापुरा के बैरून हल्का आबादी में

मुकदमा नम्बरः—75 / 19 (2019 / 00206) वाद पत्र

स्थित आराजियात संख्या 88, 536, 636, 1262, 1485, 1967 / 1554 कुल किता 6 कुल रकबा 2.13 है0 भूमि में दर्ज मुझ वादिया के नाम भैरी पत्नि रामलाल जाट के बजाय प्यारी पत्नि रामलाल जाट बतौर खातेदार दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे ओर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती कराई जावें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 16 / 10 / 2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजुद सुचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। एवं प्रतिवादी संख्या 3 फोरमल पक्षकार होने से वादी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया तो पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजुद सुचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही का निर्णय पारित हो चुका है। एवं वादिया का नाम केवल लिपिकीय. त्रुटि के कारण प्यारी पत्नि रामलाल जाट के बाजाय भैरी पत्नि रामलाल जाट दर्ज हो गया जिसको हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वादिया का नाम भैरी के बजाय प्यारी पत्नि रामलाल जाट को खातेदार काश्तकार घोषित करने की घोषणात्मक डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित हैं।

आदेश

अतः ग्राम बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादिया के पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामलाल आत्मज भैरा जी जाट के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे की आराजियात संख्या 88 रकबा 0.27 है0, आ.स. 536 रकबा 0.27 है0, आ.स. 636 रकबा 0.09 है0, आ.स. 1262 रकबा 0.22 है0, आ.स. 1485 रकबा 0.63 है0, आ.स. 1967 / 1554 रकबा 0.65 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.13 है0 भूमि में वादिया का नाम भैरी पत्नि रामलाल जाट के बजाय प्यारी पत्नि रामलाल जाट नाम सम्पूर्ण खाता राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार डिक्री जारी हो तहसीलदार रायपुर आदेश की पालना करे।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3.3.2020

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा (राज)

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–75/19 (2019/00206) वाद पत्र

अनवान

1–प्यारी पत्नि रामलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीया

बनाम

1–जमनालाल आत्मज रामलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–गंगा पुत्री रामलाल जाट पत्नि भंवरलाल जाट नि0 दुल्हेपुरा त0 रायपुर जिला भीलवाडा
2–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादिया के पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामलाल आत्मज भैरा जी जाट के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे की आराजियात संख्या 88 रकबा 0.27 है0, आ.स. 536 रकबा 0.27 है0, आ.स. 636 रकबा 0.09 है0, आ.स. 1262 रकबा 0.22 है0, आ.स. 1485 रकबा 0.63 है0, आ.स. 1967/1554 रकबा 0.65 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.13 है0 भूमि में वादिया का नाम भैरी पत्नि रामलाल जाट के बजाय प्यारी पत्नि रामलाल जाट नाम सम्पूर्ण खाता राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3.3.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.12 15:36:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: